<u>जनपद बाराबंकी</u>

दिनांक 23.03.2021

थाना टिकैतनगर पुलिस ने गोवध अधिनियम में वांछित एक शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से एक तमंचा मय दो अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद चापड़ बरामद ।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री यमुना प्रसाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण रखने के लिए वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु समस्त थाना प्रभारियों को अभियान चलाकर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री मनोज कुमार पाण्डेय के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी रामसनेही घाट श्री पंकज कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक टिकैतनगर श्री नारद मुनि सिंह के नेतृत्व में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

दिनांक 22.03.2021 को मैनुअल इंटेलीजेन्स के आधार पर थाना टिकैतनगर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 74/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त मो0 मुस्लिम पुत्र अब्दुल सुभान उर्फ बन्नू निवासी बद्री का पुरवा मजरे पूरे डलई थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी को टिकवामऊ मोड़ से गिरफ्तार किया गया। तलाशी में अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा, 02 कारतूस व एक अदद चापड़ बरामद हुआ, थाना टिकैतनगर पर मु0अ0सं0 79/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

मो0 मुस्लिम पुत्र अब्दुल सुभान उर्फ बन्नू निवासी बद्री का पुरवा मजरे पूरे डलई थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी

<u>बरामदगीः-</u>

1. 01 तमंचा 12 बोर
2. 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर
3. एक अदद चापड़

<u>पुलिस टीम-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक टिकैतनगर श्री नारद मुनि सिंह जनपद बाराबंकी।
2. उ0नि0 नन्द हौसिला यादव थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी।
3. हे0का0 नवीन कुमरा सिंह थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी।
4. का0 रवीन्द्र कुमार वर्मा थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी।